न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्या: 43/23 दायर दिनांक: 13.12.2023
जीसीएमएस नं. 2023/383

मगनी पत्नि मकतूल सिंह जाति ठाकुर नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—प्रार्थी

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता– 1.श्री धनेन्द्र कुमार पाण्डेय —प्रार्थी

निर्णय दिनांक 05.09.2024

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 137 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, 161 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 163 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा व ख.नं. 162 रकबा 06 बिस्वा, 164 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 09 बिस्वा उक्त आराजी के नवीन आ.ख.नं. 183 रकबा 0.37, 210 रकबा 0.24, 212 रकबा 0.18 हैक्टे. किता 03 रकबा 0.79 हैक्टे. संपूर्ण हिस्सा व 211 रकबा 0. 05, 213 रकबा 0.02 हैक्टे. किता 02 रकबा 0.07 हैक्टे. संपूर्ण हिस्सा वाके ग्राम बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर की खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीया का नाम ख.नं. 137 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, 161 रकबा 01 बीघा 09, 163 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा संपूर्ण हिस्सा में संवत 2055–58 में मगनी पत्नि मकतूल सिंह सही दर्ज है। लेकिन बाद के संवत 2059–62 में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा नई जमाबन्दी बनाते समय प्रार्थीया का नाम सहवन से मंगली पत्नि मकतूल सिंह बिना किसी आधार पर गलत अंकित कर दिया व ख.नं. 162 रकबा 06 बिस्वा, 164 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 0.09 संपूर्ण हिस्सा में संवत 2038–41 में मगनी पत्नि मकतूल सिंह सही दर्ज है। लेकिन बादे के संवत 2042–45 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा नई जमाबन्दी बनाते समय प्रार्थीया के पति का नाम सहवन से मगनी पत्नि मकबूल सिंह बिना किसी आधार पर गलत अंकित कर दिया। जो वर्तमान जमाबन्दी तक प्रार्थीया मंगली पत्नि मकतूल सिंह व मगनी पत्नि मकबूल सिंह गलत नाम अंकित होता चला आ रहा है। प्रार्थीया अनपढ व अशिक्षित महिला है जिसको अपने नाम व पति के नाम की जानकारी नहीं हो सकी, जब प्रार्थीया ने किसान क्रेडिट कार्ड हेतु हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी प्राप्त करने का निवेदन करने पर प्रार्थीया को अपने नाम व पति के नाम के गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर प्रार्थीया ने कई बार अप्रार्थी के कार्यालय में जाकर अपने नाम व पति के नाम को दुरूस्त कर सही नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज कराने का निवेदन किया। लेकिन अप्रार्थी हमेशा टालमटोल करता रहा। इस प्रकार प्रार्थीया का नाम मंगनी पत्नि मकतूल सिंह के स्थान पर मंगली पत्नि मकतूल सिंह व मंगनी पत्नि मकबूल सिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीया आराजी पर मिलने वाली राज्य/केन्द्र सरकार की सहायताओं से भी वंचित होना पड रहा है।

प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया है कि उपरोक्त विवादित आराजीयात में मंगली पत्नि मकतूल सिंह व मगनी पत्नि मकबूल सिंह के स्थान पर मगनी पत्नि मकतूल सिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधि...
भुसावर (भरतपुर) रा...

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने जवाब में अवगत कराया गया है कि मगनी पत्नि मकतूल सिंह नाम का एक ही काश्तकार है। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति गाँव बवेखर में नहीं है।

हमने बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 183, 210, 212, 211, 213 वाके ग्राम बवेखर में प्रार्थीया का नाम मंगली पत्नि मकतूल सिंह व मगनी पत्नि मकबूल सिंह के स्थान पर सही नाम मगनी पत्नि मकतूल सिंह दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)